(54)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1174–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–1–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन, प्रकरण कमांक 579/11–12/अपील.

1–बाबू खॉ पिता रहीम खॉ मुल्तानी,
2–भूरू खॉ पिता मोहम्मद खॉ मुल्तानी
निवासीगण ग्राम विकमगढ तहसील आलोट,
जिला रतलाम

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1–सलीम खॉ पिता गफुर खॉ मुल्तानी,
2–सूभान खॉ पिता जुम्मा खॉ मुल्तानी
निवासी गण विकमगढ़ तहसील आलोट
जिला रतलाम

.....अनावेदकगण

श्री एन.एस.सिसौदिया, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री रामप्रसाद सोलंकी, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आदेश ::

(आज दिनांक 9/8/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–1–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार आलोट के समक्ष संहिता की धारा 131 व 132 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके स्वत्व स्वामित्व की भूमि सर्वे नम्बर 824, 825, 826 व 815 पर जाने हेतु एवं खेती का समान आदि ले जाने के लिये रूढिगत रास्ता था, जिसे आवेदकगण द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 5–9–11 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 18–6–12 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 14–1–13 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर तहसीलदार का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवदकपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् आवेदकगण की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन रास्ता मौके पर रूढिगत रास्ता होना सिद्ध नहीं हुआ है और अनावेदकगण के लिये वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद आवेदकगण की भूमि में से रास्ता देने में तहसील न्यायालय द्वारा अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है इसलिये तहसीलदार का आदेश अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त किया गया है, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के विधिसंगत आदेश को निरस्त करेन में त्रुटि की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई थी कि

आवेदकगण की अनुपस्थिति में स्थल निरीक्षण किया गया है, अतः उनकी उपस्थिति में पुनः स्थल निरीक्षण किया जाकर पुनः पंचनामा बनाया जाये । इसके बावजूद तहसीलदार द्वारा रास्ता खुलवाये जाने में न्याय की गंभीर भूल की गई है । तहसील न्यायालय के आदेश को स्थिर रखने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है । अतः अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् उभयपक्षों की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण किया गया है और प्रश्नाधीन रास्ता मौके पर होना तथा उसे आवेदकगण द्वारा अवरूद्ध किया जाना साक्ष्य से सिद्ध किया गया है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् आवेदकगण को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये रास्ता खुलवाये जाने का आदेश देने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं की गई है । इसके बावजूद अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया है, अतः अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नही की गई है, इसलिये अपर आुयक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने यह पाया था कि स्थल निरीक्षण विधिवत् नहीं हुआ है तथा स्थल निरीक्षण एवं आदेश पृथक–पृथक अधिकारियों ने पारित किये हैं, इस आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया था, जो कि अभिलेख पर आधारित था । अपर आयुक्त ने अभिलेख को देखे बिना अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में त्रुटि की है । अतः

अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाकर अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–01–2013 निरस्त किया जाता है तथा अनुविभागीय अधिकारी, आलोट जिला रतलाम द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–06–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर